न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 245/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
धन्नाराम पुत्र रामलाल विश्नोई निवासी ग्राम उम्मेदनगर, भोजासर तहसील फलौदी, जिला जोधपुर		1. ओमप्रकाश पुत्र शैतानसिंह विश्नोई निवासी ग्राम उम्मेदनगर, भोजासर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर **प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण–** 2. गुड्डी पत्नी मनीराम 3. राधा पत्नी मांगीलाल 4. शांति पत्नी बक्साराम 5. सुनिल पुत्र बक्साराम 6. सोनाराम पुत्र बीरबलराम 7. गणपतराम पुत्र हणुताराम 8. पूनाराम पुत्र बक्साराम 9. भजनाराम पुत्र हणुताराम 10. भंवरी पत्नी हरचन्दराम 11. मुन्नाराम पुत्र बक्साराम 12. मनीराम पुत्र धन्नाराम 13. मांगीलाल पुत्र धन्नाराम (जाति विश्नोई निवासी ग्राम उम्मेदनगर भोजासर, तहसील फलौदी, जोधपुर) 14. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी फलौदी राजस्व प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर 40/2023 निर्णय दिनांक 14.06.2023

उपस्थिति –

1. श्री पूनाराम विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री सांगाराम चौधरी वकील रेस्पो0सं0 1
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 14 की ओर से
4. शेष प्रफोर्मा रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 12.09.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–ओमप्रकाश ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील फलौदी के ग्राम उम्मेदनगर स्थित अपने

खातेदारी व कब्जाकाश्त खसरा नं0 549/2 रकबा 1.7800 हैक्टर भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2023 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 के उल्लेखित खसरान की भूमि पर पत्थर सीमांकन करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम उम्मेदनगर के खसरा नं0 549/2 की पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रभावित पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया, केवल तहसीलदार फलौदी को ही पक्षकार बनाया गया एवं तहसीलदार का नोटिस तामिल हुए बिना ही, बिना विधिक प्रकिया अपनाये दिनांक 14.6.23 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण मूल खसरा नं0 549 के रेकर्डेड खातेदार है एवं इस खसरे की तरमीम वर्तमान मे गलत दर्ज है। मूल खसरा नं0 549 का विधिवत बंटवाडा नही हुआ, केवल सेग्रीगेशन कार्यवाही में खसरा नं0 549/2 दर्ज कर दिया गया। प्रत्यर्थी सं0 1 जिस स्थान पर तरमीम करवाना चाहता है उस स्थान पर कब्जा एवं काश्त अपीलार्थी का है। इस कारण प्रत्यर्थी सं0 1 का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल ही नही था। अपीलाधीन आदेश में एक तरफा पेमाईश के आधार पर पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी को पैमाईश की कोई जानकारी नही थी। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 में निर्विवादित पेमाईश रिपोर्ट उपलब्ध होने पर धारा 128 के तहत पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1–प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी वादग्रस्त खसरान की भूमि का बहैसियत खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। वह अपनी खातेदारी भूमि की पत्थगढी करवाना चाहता है। जिसके लिए उसने वादगस्त खसरान की भूमि का सीमाकंन/पैमाईश हेतु नियमानुसार तहसीलदार फलौदी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व तहसीलदार फलौदी के आदेशानुसार दिनांक 03.2.21 को हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त खसरान की पैमाईश कर मौके फर्द रूबरू

मौतबिरान तैयार की गई। प्रार्थी अपने खसरान की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। इसलिए उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार फलौदी को पत्थरगढी हेतु आदेशित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 14 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खसरा नक्शा एवं जमाबंदी ऑनलाईन भूनक्शा प्रतिलिपी दिनांक 5.7.23 के अनुसार ग्राम उम्मेदनगर का खसरा नं0 549 संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वकील अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त ख0नं0 549/2 मूल ख0नं0 549 का भाग है, जिसका विधिवत बंटवाडा नही हुआ है। इसके अलावा यह भी साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया और न ही अप्रार्थी–तहसीलदार फलौदी को नोटिस जारी कर उनकी रिपोर्ट ली गई। दिनांक 8.6.24 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुतिकरण में आगामी मुकरर दिनांक 14.6.23 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर 40/2023 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.6.23 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर